आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 130/12-13, महमूद मियाँ बनाम असलम मियाँ वगैरह

केस का प्रकार- बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
23·8·13	आदेश संदर्भवाद जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण के जनता दरबार से प्राप्त आवेदन को पंजीकृत कर प्रारंभ किया गया। पंजीकृत आवेदन के आलोक में उभयपक्षों को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष सम्यक सूचना पाकर अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रस्तुत संदर्भवाद मौजा अहवर मखतिना (चुड़िहार टोला) खाता-6 खेसरा-1364/5 रकबा 09 डी० जमीन से संबंधित है। वादी महमूद मियां पिता स्व० रामजान मियां साकिन अहवर मखतिना (चुड़िहार टोला) अंचल बेतिया, जिला- पश्चिमी चम्पारण ने असलम मियां पिता स्व० जलील मियां को मोहन धार पिता स्व० कारीधार साकिन अहवर मखतिना (चुड़िहार टोला) अंचल बेतिया, जिला- पश्चिमी चम्पारण को प्रतिवादी बनाया है। वादी का कथन है कि प्रश्नगत विवादित जमीन इनके बाँकडों से हासिल है। वादी का कहना है कि मौजे प्रश्नगत खाता-6 खे० (...) की रकबा 09 डी० बाउंड्री जमीन के से प्रतिवादी टोला-1 असलम मियां द्वारा 10 धूर तथा प्रतिवादी टोला-2 मोहन धार द्वारा 1½ से 2 धूर जमीन को जबरदस्ती दखल कर लिया गया है। वादी अपने कब्जे के समर्थन में निम्न कागजात	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	दाखिल किया है: (2) अनुमंडल कोर्ट वाद संख्या 02/1977-78 द्वारा विपिन बंदोबस्ती की खारिज प्रति प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष सूचना पाकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से वादी के कथनों का घोर विरोध किया है। प्रतिवादी अब्दुल्ला मियां का कथन है कि खाता-159 खेसरा 1266 रकबा 2 कट्ठा 3 धूर जमीन दिनांक 19.8.79 को जान मियां, वल्द बशारत मियां साकिन ओरिया मझौलिया से मोहम्मद मियां ने बैनामा लिखवाया और तब से मोहम्मद मियां उक्त जमीन पर अपना घर बनाकर परिवार के साथ रहते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी मोहन साह का कथन है कि मोहम्मद मियां वादी साह के नाम 05 डी० जमीन बंदोबस्त हुआ है जिस पर मोहम्मद मियां घर बनाकर गुजर-बसर करते चले आ रहे हैं। इसी जमीन पर वादी बंदोबस्ती के नाम पर जमीन को कब्जा करने के लिए नाहक ही नाहक ही परेशान किए हुए है। प्रतिवादीगण अपने कथनों के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया है:	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	ड़) केवाला संख्या अस्पष्ट दिनांक 19.6.1974 नाम जलील मियां को खारिजी। ढ़) मालगुजारी रसीद जमाबंदी क्र० 718 वर्ष 2000-01 नाम जलील मियां। ण) मालगुजारी रसीद जमाबंदी क्र०-590 वर्ष 2012-13 नाम काली छाप। उभय पक्षों के आवेदन लिखित जवाब एवं इनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आए:- वादी को जमीन बंदोबस्ती से प्राप्त है। वादी के द्वारा दाखिल बंदोबस्ती के संबंधित कागज के अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्चा के दो केवा से छेड़-छाड़ किया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। न्यायालय के द्वारा अ० अ० बेतिया से बंदोबस्ती से संबंधित कागज की मांग किया गया। अंचल से प्राप्त अंचलाधिकारी पत्रांक 607 दिनांक 27.6.13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी भोलन बंदोबस्ती वाद संख्या 10/76-77 नजरूल अनुमंडल बंदोबस्ती वाद संख्या 2/77-78 द्वारा 05 डी० भूमि बंदोबस्त हुआ को सिकटी जमाबंदी संख्या 982 में न्यायालय द्वारा एवं जमाबंदी पंजी एवं बंदोबस्ती	

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	पंजी का अवलोकन किया गया [illegible]। अं० अ० बेतिया के उपलब्ध जाँच तथ्यों की प्रति होती है। जिसके आधार है कि वादी की बंदोबस्ती वाद संख्या 10/77-78 सदनामा 2/77-78 के 05 डी० रकबा जमीन शामिल है। प्रतिवादी संख्या-1 के पिता केदार जमीन निर्वाचन इडावन से खाता-154 खेसरा 1366 के कुल 2 कट्ठा उत्तर रकबा वर्ष 1974 में क्रय किया गया है। केवाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 का विवादित खेसरा 1364 से भिन्न खेसरा संख्या-1366 में जमीन शामिल है जो वादी के विवादित खेसरा से भिन्न खेसरा को अतः वादी से कोई विवाद परिलक्षित नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या-2 के प्रतिवाद में विवादग्रस्त जमीन खेसरा की जमीन का दावा अंचल बंदोबस्ती वाद संख्या-10/77-78 12/77-78 के 05 डी० जमीन बंदोबस्त होने का दावा किया गया है जिसकी जमाबंदी संख्या 690 कायम किया गया है। कर्मचारी [illegible] द्वारा एवं जमाबंदी संख्या 690 का जाँच पंजी-2 से किया

आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	किया गया। जमाबंदी किस आधार पर सृजित हुआ है, प्रविष्ट नहीं है। अंचल कार्यालय बेतिया के बंदोबस्ती पंजी का अवलोकन न्यायालय द्वारा किया गया तो पाया गया कि प्रतिवादी सं०-2 के पिता काली शाह के नाम से खाता-6 खेसरा $\frac{1264}{2}$ की रकबा 05 डी० जमीन बंदोबस्त हुआ थी। उपर्युक्त विवेचित तथ्यों के परिशीलन से न्यायालय पाती है कि वादी कलमुद्दीन मियां एवं प्रतिवादी सं०-2 के पिता काली शाह को खाता-6 खेसरा 1264 की क्रमशः खेसरा $\frac{1264}{1}$ एवं $\frac{1264}{2}$ से दोनों को रकबा 05-05 डी० की जमीन बंदोबस्ती से शामिल है जिसका निष्पादन BLDR ACT की धारा 4(1) में किया जाता है। अतः उक्त खाता खेसरा की जमीन पर वादी एवं प्रतिवादी सं०-2 के अधिकार तथा दखल का सत्यापन किया जाना है तो अंचलाधिकारी बेतिया को आदेश दिया जाता है कि बंदोबस्ती पंजी के वर्णित 05-05 डी० जमीन नापी कर दोनों को दखल दिला दें और इसकी प्रतिवेदन/अनुपालन करावें। Ad[illegible] 22/8/18 भू० सु० उप समाहर्ता बेतिया	

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता